फर्द अहकाम

मालीराम V/s बनाम अमरलाल वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

संख्या 71/2017 प्रार्थना पत्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15-3-18 वकील अप्रार्थी उप. पैरोकार सक्षम उप. पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब सक्षम दिनांक 28-3-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	28-3-18 वकुलाप उप. पैरोकार सक्षम उप. P.O. सा. दौरे के पधारे हैं गत आदेश की पालना के दिनांक 12-4-18 को पेश हो (हस्ताक्षर) प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	12-4-18 वकुलाप उप. पैरोकार सक्षम उप. जवाब सक्षम को अवसर चाहा वास्ते जवाब सक्षम दिनांक 26-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	26-4-18 वकुलाप उप. पैरोकार सक्षम उप. वास्ते पेश होने जवाब सक्षम दिनांक 24-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
24-5-18 (हस्ताक्षर)	24/05/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 उपस्थित हुए। पत्रावली, पत्रावली	भंवरलाल नि. नारेगी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

मालीदेवी vs बनाम अपालाल कौर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) प्रार्थनापत्र

केस संख्या 71/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वि
		पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुनाया गया। मूल वाद में वादी का निवेदन रहा कि ग्राम बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 528 रकबा 19 बिस्वा, 626 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के हाल ख.नं. 1166/2232 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है, परन्तु उक्त आराजी के ½ भाग पर वादीया काबिज काश्त है। वादीया का यह भी निवेदन रहा कि आराजी मुतनाजा पर साबिक सैटलमेंट से पूर्व वादीया एवं प्रतिवादीगण का दादा झूंथा काबिज काश्त था तथा उसी अनुसार खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु वादिया के पिता नाबालिक होने से मूला ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। यह भी बन्दोबस्त कर्मचारियों ने मूला को झूंथा समझते हुए गलत रुप से खातेदारी दर्ज कर दी। राजस्व कर्मचारियों ने मूला को झूंथा समझते हुए झूंथा वल्द घीसा दर्ज करने के बजाय मूला वल्द घीसा दर्ज कर दिया जो गलत है।	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(हस्ताक्षर) 2/5/18

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

मालीदेवी वगै. बनाम जोगेलाल वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

संख्या 71/2017 प्रतिनायक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वादीया का वाद उक्त के संबंध में दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी से संबंधित है। वाद में वर्णित सजरा खानदान अनुसार प्रथमतः उभय पक्षकारान एक ही परिवार कुटुम्ब से होना प्रतीत होता है। वाद के तथ्यों के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए दोनो पक्षों की पूर्ण साक्ष्य लिया जाना न्यायसंगत है, तथापि प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार हैं, फिर भी हस्तगत वाद में किसी प्रकार की पेचिदगी नही बढ़े, पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमे बाजी नही हो, तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए उभय पक्षों को तस्फिया मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बीलवाड़ी के खसरा नम्बर 1166/2232, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय भजरे-आम सुनाया गया।	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर
	(हस्ताक्षर) 24/05/18 पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018	